

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15072025-264684 CG-MH-E-15072025-264684

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 509] No. 509] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 14, 2025/आषाढ़ 23, 1947 NEW DELHI, MONDAY, JULY 14, 2025/ASHADHA 23, 1947

## भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिसूचना

मुंबई, 14 जुलाई, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/250.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज क्लीयरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, एक्सचेंज स्क्वायर, सुरेन रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र - 400 093, द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 के विनियम 12 के तहत मान्यता का नवीकरण प्रदान करने के लिए किए गए आवेदन पर विचार करते हुए और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के हित में होगा और ऐसा करना लोक हित में भी होगा, एतद्वारा, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 8क की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) को मान्यता का नवीकरण 31 जुलाई 2025 को प्रारंभ होने वाली और 30 जुलाई 2028 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए, यहाँ नीचे उल्लिखित शर्त या इसके बाद निर्धारित की जाए या लगाई जाए शर्त के अध्यधीन, प्रदान करता है :

 उक्त समाशोधन निगम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा समय - समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों का पालन करेगा।

> अनंत नारायण गो., पूर्णकालिक सदस्य [विज्ञापन-III/4/असा./242/2025-26]

4703 GI/2025

## THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

## NOTIFICATION

Mumbai, the 14th July, 2025

**F.** No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/250.—Securities and Exchange Board of India, having considered the application for grant of renewal of recognition under Regulation 12 of the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, by Multi Commodity Exchange Clearing Corporation Limited, Exchange Square, Suren Road, Andheri (East), Mumbai, Maharashtra – 400 093 and being satisfied that it would be in the interest of the trade, in the interest of securities market and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 4 read with sub-section (4) of section 8A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, renewal of recognition to the said clearing corporation for three years commencing on the 31<sup>st</sup> day of July, 2025 and ending on the 30<sup>th</sup> day of July, 2028, subject to the condition stated herein below or as may be prescribed or imposed hereafter:

• The Clearing Corporation shall comply with the conditions specified by the Securities and Exchange Board of India from time to time.

ANANTH NARAYAN G, Whole Time Member [ADVT.-III/4/Exty./242/2025-26]